न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 74/ 2019

बलदेव पुत्र रामरतन जाति विश्नोई निवासी चक 13 बी एन डब्लयू गांव दूलपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

1 राजपाल पुत्र लालचन्द जाति विश्नोई निवासी 13 बी एन डब्लयू गांव दूलपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 सरस्वती पत्नी लालचन्द जाति विश्नोई निवासी 13 बी एन डब्ल्यू गांव दुलपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए.

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री राकेश सिहाग अधिवक्ता (प्रार्थी)

2 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय दिनांक : 07.11.19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी ए. के तहत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के नाम चक 13 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर खाता संख्या 43/41 नया 42/41 प.न. 3/130 मु.न. 71 कि.न .7, 11 ता 15 प्रत्येक सालम कुल 6 बीघा आराजी दर्ज कागजात माल है। अप्रार्थी संख्या 1 व2के नाम चक 13 बी एन डब्लय तहसील सादुलशहर खाता संख्या 75/77 प.न. 3/130 मु.न. 71 कि.न. 16 ता 20 प्रत्येक सालम, कि.न. 21 ता 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता, 18–18 बिस्वा नहरी भूमि ब.हि.ब. दर्ज कागजात माल है। इस प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थी के की मु.न. 71 की भूमि है। मु.न. 71 कि.न. 21 ता 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रासता स्वीकृत है जो मौके पर चालू है और मु.न. 71 अप्रार्थी के नाम की जमाबदी संलग्न आवेदन पत्र है। प्रार्थी अपनी भूमि मु.न. 71 के कि.न. 7 व 11 ता 15 की काश्त इसी मु.न. के कि.न. 25 व 16 प्रत्येक किलामें 2–2 बिस्वा रासता से चलकर काश्त करता है और प्रार्थी ने अप्रार्थी के कि.न. 25 व 16 की रासता की 4 बिस्वा भूमि के बदले अपने कि.न. 11 ता 15 में से कि.न. 16 ता 20 से चिपती हुयी छोड़ रखी है और आवेदक व अनावेदक ने यह व्यवस्था काफी लम्बे समय से कर कर रखी है इस प्रकार आवेदन कि.न. 25 व 16 मे से प्रवेश कर भूमि काश्त कर लेता है और अप्रार्थी रास्ता की भूमि की 4 बिस्वा भूमि के बदले कि.न. 11 ता 15 में भूमि प्राप्त कर रखी है कि काश्त अपनी भूमि कि.न. 16 ता 25 के साथ कर लेता है। प्रार्थी व अप्रार्थी की भूमि मु.न. 71में ही है, मु.न. 71 की सिंचाई के लिये नक्का कि.न. 25 में है और कि.न. 25 के नक्का से अनावेदकगण कि. न. 25 के पूर्वी दिशा की किला लाईन पर 1 बीघा लम्बाई में खाला ले जाकर कि.न. 16 व 25 के मध्य खाला निकाल कर अपनी भूमि सिंचाई करते हुये औरप्रार्थी अप्रार्थी के कि.न. 25 मे चल रहे खाल से आगे अप्रार्थी के कि.न. 16 मे पूर्वी दिशा में 1 बीघा खाल ले जाकर अपने कि.न. 15 में प्रवेश कर अपनी भूमि की सिंचाई करता है इस प्रकार मु.न. 71 के कि.न. 16 व 25 के पूर्वी दिशा में किला लाईन पर सिंचाई खाल चल रहा है और इस खाला से चिपता हुआ किला न. 16 व25 में 2–2 बिस्वा चौड़ा

उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर (राज.)

रास्ता चल रहा है और इस रास्ता के अलावा आवेदक की भूमि के लिये औरकोई रासत नही है और प्रार्थी की भूमि के लिये केवल मात्र यही सरल वसुविधाजनक रासता है कि.न. 25 व 16 मे चल रहे रासता की फोटो सलग्नप्रार्थना पत्र है। वगैरा–वगैरा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके चक 13 बी एन डब्ल्यू के मु.न. 71 के कि.न. 25 व 16 की पूर्वी लाईन पर खाल की भूमि छोड़कर 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकार किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पेश होन पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से होने के बावजूद हाजिर अदालत नही आने पर अप्रार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

तहसीलदार राजस्व से रास्ता के सम्बध में रिपोर्ट तलब की गयी, रिपोर्ट प्राप्त हुयी।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकारकिये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता के अलावा प्रार्थी की आराजी को अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है एव इस सम्बध में तहसीलदार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी अंकन किया गया है एव चाहा गया रास्ता मौका पर चालू हालत में दर्शाया गया है एव प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र एव बहस के दौरान भी अप्रार्थीगण को रासता की ऐवज में क्षतिपूर्ति हेतू रास्ता मे प्रयुक्त होने वाली भूमि के बदले भूमि दिया जाना स्वीकार किया है एव अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के कथनों का उपस्थित हेाकर विरोध नही किया है। एव मुताबिक रिपोर्ट व प्रार्थी के कथनानूसार प्रार्थी को रास्ता की अत्यंतिक आवश्यकता प्रतीत होती है एव अन्य कोई वैकल्पिक रासता उपलब्ध ना होने की सूरत में प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि चक 13 बी एन डब्ल्यू के प.न. 3/130 मु.न. 71 के कि.न. 25 व 16 के पूर्वी दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रत्येक किला में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है एंव रास्ता की ऐवज में अप्रार्थी के हक हिस्सा के मु.न. 71 कि.न. 17, 18, 19, 20 के चिपते हुये प्रार्थी के नाम दर्ज प.न. 3/130 मु.न. 71 के कि.न. 11, 12, 13, 14 प्रत्येक किला में से 0.013 है. आराजी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम ब.हि.ब दर्ज की जावे। उक्तानुसार तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर रास्ता का गैर मुमकिन राजस्व रिकार्ड में अंकन करे एवं रास्ता की ऐवज में अप्रार्थीगण को दी गयी आराजी अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज रिकॉर्ड करे।

तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेश की पालना हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07.11.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2019.11.14 11:12:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: